राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

पत्रांक. एफ.1(2)(1)आ.प्र.सहा./राका/09/1877–1907
जयपुर,दिनांक: 6.2.2009

जिला कलक्टर
अजमेर, भीलवाड़ा, बाड़मेर, राजसमन्द,
बीकानेर, डूंगरपुर, नागौर, सिरोही,
जालौर, जोधपुर, जैसलमेर, पाली।

विषय :– अभाव वर्ष संवत् 2065 अन्तर्गत सम्पादित होने वाले राहत कार्यों के लिए निर्देश।
संदर्भ:– विभागीय अभाव घोषणा अधिसूचना कमांक. 1805–45 दिनांक 6.2.2009

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित अधिघोषणा के कम में लेख है कि अभावग्रस्त क्षेत्रों के निवासियों को जीवकोपार्जन उपलब्ध कराने की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा इन अभावग्रस्त क्षेत्रों में तुरन्त प्रभाव से राहत कार्य चलाने का निर्णय लिया गया हैं। राहत कार्यों को सम्पादित कराने की व्यवस्था प्रणाली आपदा प्रबन्धन एवं सहायता निर्देशिका के अध्याय 3 एवं 4 में सम्पूर्ण रुप से दी हुई है। राज्य के सभी जिलों में एन.आर.ई.जी.पी. के कार्य चल रहे हैं व इन पर 100 दिन का श्रम रोजगार लाभार्थियों को प्राप्त हो रहा है। अभावग्रस्त क्षेत्र के जिन प्रभावित व्यक्तियों को 100 दिन का रोजगार इस योजना में मिल चुका है व रोजगार की उन्हें अतिरिक्त आवश्यकता है, ऐसे प्रभावितों को रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से दिनांक 31.3.2009 तक की अवधि के लिए राहत कार्य चलाये जायेगें । इन कार्यो पर श्रमिक सीमा का निर्धारण भी विभागीय वितन्तु संदेश कमांक 1846–76 दिनांक 6–2–2009 द्वारा किया जा चुका है। आपदा प्रबन्धन एवं सहायता निर्देशिका में दी गई व्यवस्थाओं के साथ–साथ निम्न निर्देशों की पालना भी सुनिश्चित की जाये।

01. दिनांक 1.9.2005 को जारी की गई आपदा प्रबन्धन एवं सहायता निर्देशिका में निर्धारित प्राथमिकता के अनुरुप श्रमिको का नियोजन एवं राहत कार्यो का संचालन किया जायेगा।
02. वर्तमान निर्देशों के तहत सी.आर.एफ. से सामग्री अनुभाग के लिए कोई राशि देय नहीं होगी केवल श्रम पेटे ही भुगतान देय होगा।
03. सहायता विभाग के तहत प्रदत्त श्रमिक सीमा के अन्तर्गत उन कार्यो को प्राथमिकता से लिया जायेगा जिन्हें दिनांक 31.3.2009 तक पूर्ण किया जा सके अथवा 1.4.2009 के पश्चात् नरेगा अथवा अन्य विभागीय योजनाओं के तहत पूर्ण कराये जा सके।

04. वित्तीय वर्ष 2008–09 में ग्रामीण विकास विभाग की नरेगा योजना के तहत 100 दिवस का रोजगार पूर्ण करने वाले परिवार के एक सदस्य को राहत कार्यो पर 10 दिवस के लिए रोटेशन अनुसार नियोजन किया जायें ।

05. राहत कार्यो के अन्तर्गत एन.आर.ई.जी.पी. योजना में चिन्हीत कार्यो को भी लिया जा सकता है, परन्तु राहत कार्य अवधि समाप्त पश्चात यदि कार्य अपूर्ण रहता है तो इसे आगामी वित्तीय वर्ष में नरेगा योजना में उपलब्ध धन राशि से पूर्ण कराया जायेगा ।

06. राहत कार्य प्रत्येक माह में तीन चरणों के अन्तर्गत 10 दिवस की अवधि के लिए चलाये जायेंगे।

07. राहत कार्यों पर लगाये गये श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान 25 प्रतिशत नकद में तथा 75 प्रतिशत खाधान्न के रुप में किया जायेगा, बशर्ते कि जिले के पास पूर्व वर्षो का एस.जी.आर.वाई. (एस.सी.) मद का गेहूं अवशेष हो । खाधान्न की अनुउपलब्धता की स्थिति में श्रमिकों को श्रम का शत–प्रतिशत नकद राशि से भुगतान किया जायेगा।

08. श्रमिकों को उनके श्रम का भुगतान श्रम विभाग की अधिसूचना दिनांक 26.2.2008 द्वारा निर्धारित दरों पर श्रमिकों द्वारा की गई टास्क अनुसार किया जायें ।

09. राहत कार्यो पर कार्यरत श्रमिकों को नरेगा योजना मे उपलब्ध प्रावधानों के अनुसार श्रम भुगतान किया जायेगा, परन्तु कार्य इस विभाग के मस्ट्रोल पर कराये जायेगें । श्रमिकों को उनके श्रम का भुगतान 10 दिन के पखवाड़े की समाप्ति के पश्चात निश्चित तौर पर 10 दिवस में कर दिया जाये ।

10. जिला कलेक्टर द्वारा जिले में चल रही नरेगा योजना में 100 दिवस पूर्ण किये परिवार के एक सदस्य को प्रति माह 10 मानव दिवस राहत कार्यो पर श्रम नियोजन करने की सम्भावना के आधार पर श्रम सीमा का आंकलन करते हुए आगामी माह के लिए श्रम सीमा की मांग की जा सकती है । अन्यथा ग्रामीण विकास विभाग से प्राप्त सूचना के आधार पर उन्हें श्रम सीमा का आंवटन कर दिया जायेगा ।

11. राहत कार्यो पर कार्यरत श्रमिकों को कार्य स्थल पर ही छाया, पेयजल, दवाईयां, स्वास्थ्य परिक्षण आदि की उपलब्धता राहत कार्य निर्देशिका में दिये गये प्रावधानानुसार सुनिश्चित की जावें ।

12. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा अभावग्रस्त जिलों के प्रत्येक विकास खण्ड में आपातकालीन पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 20 श्रमिक 31 मार्च, 2009 तक के लिए जिलेवार निर्धारित श्रमिक सीमा के अन्तर्गत तथा 31 मार्च, 2009 के पश्चात् जिला कलेक्टर की मांग के अनुसार अभाव अवधि तक पृथक से उपलब्ध कराये जायेंगे।

13. राहत कार्यो पर अतिरिक्त व्यय व्यस्था अन्तर्गत अन्य व्यय यथा अतिरिक्त वाहन किराया, पी.ओ.एल., स्टेशनरी, टेलीफोन खर्च, फोटोस्टेट का कार्य आदि के लिए आपदा प्रबन्धन एवं सहायता निर्देशिका में अनुमत राहत कार्य श्रम ऐस्टीमेट की 1 प्रतिशत राशि का व्यय अनुमत है ।

14. राहत कार्यो का समय–समय पर विकास अधिकारी/संबंधित विभागीय अधिकारी/तहसीलदार (25 प्रतिशत) उप खण्ड अधिकारी (10 प्रतिशत) मुख्य

कार्यकारी अधिकारी/अतिरिक्त जिला कलेक्टर (5 प्रतिशत) एवं जिला कलेक्टर द्वारा निर्देशित मापदण्डों के अनुसार निरीक्षण किया जायेगा ।

16. संभागीय स्तर पर प्रत्येक माह संबंधित सम्भागीय आयुक्त द्वारा राहत कार्यो की समीक्षा की जायेगी एवं प्रति माह इस की स्थिति इस विभाग को प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा ।

अन्य सभी दिशा निर्देश आपदा प्रबन्धन एवं सहायता निर्देशिका द्वारा शासित होगें।

भवदीय,

6/2/09

शासन सचिव ।

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख शासन सचिव, मा0 मुख्यमंत्री (प्रथम/द्वितीय)
2. विशेषाधिकारी मा0 मुख्यमंत्री (सहायता)
3. निजी सचिव जिला प्रभारी मंत्री
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव वित्त, सिंचाई, पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास
6. निजी सचिव, शासन सचिव सा0निर्माण विभाग, पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग/आयुक्त नरेगा
7. सचिव, जिला प्रभारी
8. सम्बन्धित जिला संभागीय आयुक्त
9. सम्बन्धित जिला कलेक्टर
10. निदेशक सूचना एवं जन सर्म्पक विभाग

6/2/09

शासन सचिव ।